

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर
किराया जीप निविदा फार्म

01. जीप मालिक का नाम :-
02. पिता का नाम :-
03. जीप मालिक का पता :-
मोहल्ला :-
जिला फोन / मोबाईल नम्बर
04. जीप का नम्बर
05. जीप का प्रकार
06. जीप का मॉडल एवं निर्माण का वर्ष
07. जीप फोर व्हील है हाँ / नहीं ।
08. टैक्सी परमिट एवं परमिट की अवधि
09. जीप का एवरेज प्रति किलोमीटर
10. जीप का रजिस्ट्रेशन अवधि (आर.सी. बुक की छायाप्रति संलग्न करें)
11. जीप की बीमा अवधि (बीमा पॉलिसी की छाया प्रति संलग्न करें)
12. जीप चालक का नाम :-
(चालक के लाईसेंस की छायाप्रति संलग्न करें)
13. जीप का किराया प्रतिदिन की दर से ₹ (अंको में)
(शब्दों में रूपये
14. जीप मालिक का पेन नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें)

हस्ताक्षर जीप मालिक

दिनांक नाम

संलग्न नियम व शर्तों का पचास रूपये के स्टाम्प पेपर पर जीप किराया करार पत्र निष्पादित करना होगा, जिसका खर्च जीप मालिक को स्वयं वहन करना होगा । संलग्न नियम व शर्त मुझे मान्य है ।

हस्ताक्षर जीप मालिक
नाम

किराया जीप करार पत्र

यह करार पत्र जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ जिसे आगे चलकर बैंक कहा गया है और करार का एक पक्षकार है तथा श्री आत्मज श्री आयु वर्ष निवासी जिला (छ.ग.) जिसे आगे चलकर वाहन स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि कहा गया है जो इस करार का दूसरा पक्षकार है । के द्वारा निष्पादित किया जा रहा है ।

चूंकि वाहन स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि जीप वाहन क्रमांक को किराये पर बैंक को देने को उत्सुक है तथा उक्त जीप को किराये पर ₹ (शब्दों में रूपये) प्रति दिन के मान से लेने को तत्पर है जब एतद पक्षकार निम्नाशय के अधिन परस्पर इकरार करते हैं :-

01. यह कि जीप का उपयोग बैंक द्वारा वसूली एवं अन्य कार्यालयीन कार्य हेतु किया जायेगा तथा बैंक कार्यक्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में भी जीप का उपयोग किया जायेगा ।
02. यह कि जीप का डीजल बैंक द्वारा दिया जावेगा तथा अन्य समस्त प्रकार के आईल आदि वाहन स्वामी उपलब्ध करायेगा ।
03. डीजल के एवरेज की गणना न्यूनतम 10 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से की जावेगी । एवरेज कम होने पर राशि की कटौती किया जाकर करार रद्द किया जा सकेगा ।
04. यह कि उपरोक्त कंडिका 3 में निर्धारित डीजल को छोड़कर जीप पर होने वाले समस्त प्रकार के खर्च जैसे मरम्मत आदि संबंधी व्यय वाहन स्वामी करेगा ।
05. यह कि जीप के लिये ड्राईवर वाहन स्वामी उपलब्ध करेगा तथा उस पर होने वाला समस्त व्यय का भार वाहन स्वामी पर होगा ।
06. यह कि जीप चार घंटा से अधिक किसी मरम्मत के लिये गैरेज में जावेगी तो उसे पूरे दिन गाड़ी रिपेयरिंग हेतु वाहन स्वामी के पास मानी जावेगी तथा उस दिन का किराया बैंक भुगतान नहीं करेगी ।
07. यह कि किराये का भुगतान प्रत्येक माह की 5 तारीख या विगत माह में चले प्रति दिन किराये के हिसाब से की जावेगी । किराये की राशि का पच्चीस प्रतिशत समावधन शुल्क के रूप में रोक रखा जावेगा जो कि अंतिम किश्त के समय दिया जावेगा ।
08. यह की जीप को आदेश मिलने के तुरंत बाद निर्धारित समय व स्थान पर समस्त सुविधाओं सहित उपलब्ध कराना होगा ।

क्रमशः

09. यह कि जीप बैंक को देते समय वाहन स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि फूल टैंक डीजल सहित जीप बैंक को उपलब्ध कराएगा । वाहन स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि को जब जीप वापस की जावेगी तो बैंक फूल टैंक डीजल सहित उसे वाहन स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि को वापस करेगी ।
10. यह कि जीप के टैक्स, बीमा की जवाबदारी वाहन स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि का रहेगा तथा बैंक द्वारा किराया भुगतान के समय नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौति की जावेगी ।
11. यह कि बैंक द्वारा जीप उपयोग का समय निर्धारित नहीं रहेगा आवश्यकतानुसार दिन रात में भी इसका उपयोग बैंक करेगी ।
12. यह कि जीप का उपयोग करने के एवज में बैंक द्वारा वाहन किराया ₹ शब्दों में प्रतिदिन के दर पर अदा किया जावेगा । 24 घण्टे का दिन माना जाकर किराया का भुगतान होगा ।
13. यह कि बैंक द्वारा लॉग बुक रजिस्टर प्रदान किया जावेगा, जिसका उपयोग करने वाले बैंक अधिकारी/कर्मचारी से भरा कर प्रतिदिन पूर्ण करने की जवाबदारी जीप मालिक या चालक की होगी । इसी लॉग बुक के आधार पर हिसाब किया जावेगा तदानुसार भुगतान किया जावेगा । सार्वजनिक अवकाश के दिनों में जीप का उपयोग न होने पर उक्त दिनों का किराया भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया जावेगा ।
14. यह कि दुर्घटना एवं जीप में अन्य टूट-फूट का जिम्मेदार वाहन स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं होगा ।
15. यह कि नशे इत्यादि सेवन किये हुये हालत में चालक की सेवा अनुचित मानी जावेगी तथा इससे होने वाले बैंक के समस्त क्षति के लिए वाहन स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि जिम्मेदार होंगे । यदि वाहन चालक का आचरण बैंक को संदेहास्पद प्रतीत होने पर करार रद्द कर दी जावेगी ।
16. यह कि सेवा के समय वाहन स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि अपने वाहन का उचित रखरखाव करेंगे ताकि बैंक के कार्य में किसी किस्म की बाधा न आवे ।
17. आवश्यकता नहीं होने पर बैंक कभी भी किसी भी समय जीप का किराया बंद कर देगी । और जीप वाहन स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि को वापस कर देगी ।
18. यह कि जीप/वाहन की स्वामित्व अधिकारी संबंधित विवाद इत्यादि का दायित्व वाहन स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि की जगह हस्ताक्षर करने वाले का होगा ।
19. यह की उभय पक्षकार में से किसी के भी द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर यह करार शून्य हो जावेगा । तथा वांछित नुकसान वसूल करने का अधिकारी पीड़ित पक्षकार होगा ।

// 03 //

20. यह कि जीप बैंक के आधिपत्य में रहेगी और वाहन स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि करार अवधि के दरम्यान अपने आधिपत्य में नहीं रखेगा अन्यथा किराये का भुगतान नहीं किया जावेगा एवं साथ ही जो भी हानि बैंक को होगी उसका दायित्व वाहन स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि का रहेगा ।
21. जीप जब भी बैंक के प्रधान/शाखा कार्यालय वापस होता है तो जीप कार्यालय में खड़ी रहेगी । वाहन मालिक अपने घर पर इच्छानुसार रखने का अधिकारी नहीं होगा ।
22. यह कि जीप तकनीकी कारणों से चलने योग्य न होने पर तत्काल बंद कर दी जावेगी जिसके लिये पृथक से सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी ।
23. यह कि करार पत्र दिनांक से प्रभावशील माना जावेगा ।

उपरोक्त करार के साक्ष्य स्वरूप बैंक जिसकी ओर से प्रबंधक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा वाहन स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि ने आज दिनांक को स्थान जगदलपुर में हस्ताक्षर किये ।

(प्रथम पक्षकार)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
जगदलपुर

(द्वितीय पक्षकार)

वाहन स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि
नाम

साक्षीगण :-

1

2